श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.14 को लम्बित AC/DC विपत्रों से संबंधित आहुत बैठक की कार्यवाही :-

1. **जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ**
2. **अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ**
3. **स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ**
4. **कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ**
5. **संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उपस्थिति यथा पंजी में दर्ज)**

दिनांक 30.09.14 को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में लम्बित **AC/DC** विपत्रों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. कोषागार पदाधिकारी-सह- प्रभारी पदाधिकारी(AC/DC) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर वित्तीय वर्ष 2011-12 तक दिनांक (31.12.12 तक) पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत 650.89 करोड़ **AC** विपत्र के विरूद्ध 613.05 करोड़ रूपये का DC विपत्रों का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा समायोजन किया जा चुका है। पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत 37.84 करोड़ का **DC** विपत्र महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा समायोजन किया जाना है, जिसकी अद्यतन सूची कोषागार कार्यालय, पूर्णियाँ द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का उपलब्ध करा दिया गया है। जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूची प्राप्त नहीं हुआ है। वे कोषागार कार्यालय से सम्पर्क कर सूची प्राप्त कर लेने का निदेश दिया गया (विभागवार असमायोजित राशि की सूची संलग्न)।
2. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि **DC** विपत्रों की समायोजित राशि के समायोजन हेतु अपने कार्यालय के एक योग्य कर्मी को विशेष दूत के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। जो कोषागार कार्यालय एवं महालेखाकार कार्यालय से सतत सम्पर्क बनाकर असमायोजित **DC** विपत्रों के समायोजन हेतु तब तक कार्य करते रहेंगे जब महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा अन्तिम रूप से सभी असमायोजित राशि समायोजित नहीं कर दी जाती है।
3. कुछ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा **AC** विपत्र पर निकासी की गयी राशि का कपट पूर्ण/त्रुटि पूर्ण व्ययों की ओर जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसके कारण **DC** विपत्रों के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न होने की बात बतायी गई। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ऐसे मामलों को चिह्नित कर उसमें वांछित राशि की वसूली कर चलान के माध्यम से कोषागार में जमा कराते हुए **DC** विपत्र तैयार किया जाय। उक्त कार्रवाई 15 दिनों के अंदर सम्पादित कर ली जाये।
4. कतिपय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि उनके यहाँ **AC** विपत्रों पर निकासी की गयी है जिसका **DC** विपत्र भी तैयार कराया गया है। परन्तु उक्त **DC** विपत्र को महालेखाकार,

बिहार, पटना के कार्यालय में **Data Not Found** बताया जा रहा है तथा **DC** विपत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों के लिए कोषागार कार्यालय से विधिवत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए महालेखाकार, बिहार, पटना से सम्पर्क किया जाय।

समीक्षोपरान्त इस निदेश के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई कि इस माह के अन्तिम सप्ताह में लम्बित **AC/DC** विपत्रों पर पुनः समीक्षात्मक बैठक आहुत होगी। इससे पूर्व महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा लम्बित असमायोजित **DC** विपत्रों का अन्तिम रूप से समायोजन करा लिया जाय ताकि पूर्णियाँ जिला का **DC** विपत्रों की असमायोजन राशि शून्य हो जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1923 ..../स्था0, पूर्णियाँ, दिनांक 18/10/14...

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ-सह- नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh.
14/10/14

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ